संख्या–1821 / 26–3–2016–10(11) / 2016

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक : 13 जून, 2016

विषय :समाज कल्याण विभाग द्वारा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों मे प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या–128 / स0क0 / 2016–17, दिनांक–07.06.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से समाज कल्याण विभाग द्वारा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों मे प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये अभ्यर्थियों का चयन एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट (http://swd.up.nic.in) पर राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र के तकनीकी सहयोग से आमंत्रित किये जायेंगे तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, इलाहाबाद के द्वारा किया जायेगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम एवं आवेदन हेतु दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाइट (http://swd.up.nic.in) पर उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थियों को उक्त वेबवाइट पर आनॅलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ शैक्षिक अंकपत्र, प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्वयं की फोटो एवं हस्ताक्षर की स्कैन कापी अपलोड करनी होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग / उ0प्र0 लोक सेवा आयोग / संबंधित आयोग अथवा बोर्ड द्वारा संबंधित परीक्षा के लिये निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम में अनुसार बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेगें।

निम्नलिखित अर्हता एवं शर्ते पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों मे प्रवेश हेतु होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिये आवेदन कर सकेंगे :–

<u>अर्हता</u>

1. उ0प्र0 के स्थाई निवासी, स्नातक उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हो।
2. अभ्यर्थी के माता–पिता अथवा अभिभावक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आमदनी रूपया एक लाख से अधिक न हो। (अभ्यर्थी के नाम पर बना हुआ आय प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।) आय प्रमाण पत्र / जातिप्रमाण पत्र नवीन कम्प्यूटराइज्ड प्रारूप पर बना हो तथा जिसमें 12 अंकों वाला कोड अंकित होना चाहिए।
3. संघ लोक सेवा आयोग / उ0प्र0 लोक सेवा आयोग / संबंधित आयोग एवं बोर्ड द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति / अ0पि0वर्ग के लिये निर्धारित आयु सीमा मान्य होगी।
4. अभ्यर्थियों को संबंधित परीक्षा, जिसकी कोचिंग चाहता है, के लिये समस्त अर्हता / पात्रता पूर्ण करना आवश्यक है। इसके साथ ही अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा के लिये आयोग / बोर्ड में आवेदन पत्र भरना एवं परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

–2

सतीश जी0ओ0

अन्य आवश्यक शर्ते

1. अभ्यर्थी किसी शासकीय/अशासकीय अथवा अन्य सेवा में कार्यरत न हो तथा किसी शैक्षिक संस्था में अध्ययनरत न हो।
2. अभ्यर्थी ने इसके पूर्व समाज कल्याण विभाग अथवा उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित अथवा अनुदानित किसी अन्य कोचिंग सेंटर/संस्थान में कोचिंग न ली हो।
3. कांउसलिंग के समय अभ्यर्थी को समस्त मूल अभिलेख (शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि) आनॅलाइन भरे गये आवेदन पत्र के प्रिंट आउट, चरित्र प्रमाण पत्र (अंतिम विद्यालय, जहां शिक्षा प्राप्त की है, के प्रधानाचार्य अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी) एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (सरकारी चिकित्सक द्वारा जारी) प्रस्तुत करने होंगे।
4 कोचिंग संबंधित वर्गों के निर्धन एवं प्रतिभावान अभ्यर्थियों हेतु चलाई जाती है, इसके लिये अभ्यर्थियों की जाति एवं आय प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों की गोपनीय जांच कराई जा सकती है जिसके असत्य पाये जाने पर कोचिंग पर हुये व्यय की वसूली संबंधित अभ्यर्थी से की जायेगी।
5 प्रशिक्षण की अवधि में अपरिहार्य परिस्थितियों (बीमारी अथवा किसी अन्य सेवा की परीक्षा हेतु) में ही अवकाश दिया जायेगा। अभ्यर्थियों को केवल उन्हीं परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिये अवकाश दिया जायेगा, जिनके लिये वे आवेदन कर चुके हैं तथा जिनका उल्लेख आवेदन पत्र में होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य कारण हेतु कोई अवकाश देय नही होगा।

प्रश्न पत्रों का मुद्रण, रख–रखाव, प्रेषण, मूल्यांकन एवं मेरिट सूची

1. प्रवेश परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण, ओ0एम0आर0 शीट का मुद्रण बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित परीक्षा संस्था सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा दो सीरीज (सीरीज–1 तथा सीरीज–2) में कराया जायेगा। निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या का विवरण विलम्बतम् प्रवेश परीक्षा के एक माह पूर्व उपलब्ध करा दिया जायेगा।
2. मण्डल स्तर पर संबंधित संयुक्त निदेशक/उप निदेशक प्रवेश परीक्षा के नोडल अधिकारी होंगे। प्रवेश परीक्षा हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थायें करने तथा केन्द्रों का निर्धारण करने आदि का दायित्व मण्डलीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक का होगा।
3. सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु परीक्षा सामग्री संबंधित जनपदों के मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक(नोडल अधिकारी) को परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि के 03 दिन पूर्व उपलब्ध करायेंगे जहाँ इसे जनपदीय कोषागार के डबल लॉक में रखा जायेगा। परीक्षा के दिन प्रश्न–पत्र तथा ओ0एम0आर0 शीट सील्ड कवर में नोडल अधिकारी द्वारा अपनी देख–रेख में परीक्षा केन्द्र पर विलम्बतम् प्रातः 08:00 बजे तक पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे तथा केन्द्र व्यवस्थापक को सील्ड कवर प्राप्त करायेंगे। केन्द्र व्यवस्थापक परीक्षा प्रारम्भ होने के 30 मिनट पूर्व कक्ष प्रभारी को प्रश्न–पत्र तथा ओ0एम0आर0 शीट उपलब्ध करायेंगे।
4. परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 दिन पूर्व अभ्यर्थियों के उपस्थिति पत्रक (एन0आई0सी0 द्वारा तैयार किये गये) केन्द्र व्यवस्थापक को प्राप्त कराये जायेंगे। उपस्थिति पत्रक में ओ0एम0आर0 फार्म का क्रमांक अंकित किया जायेगा। परीक्षा समाप्त होने के बाद केन्द्र व्यवस्थापक उपस्थिति/अनुपस्थिति का पूर्ण विवरण मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक(नोडल अधिकारी) को उपलब्ध करायेंगे।
5. परीक्षा एक दिन में आयोजित होगी। परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा परीक्षा के दिन ही परीक्षा केन्द्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं (ओ0एम0आर0) को भली भांति सुरक्षित रूप से सील्ड कराकर मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक (नोडल अधिकारी) को प्राप्त कराने का उत्तरदायित्व होगा। नोडल अधिकारी सील्ड ओ0एम0आर0 शीट सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को हस्तगत करायेंगे।

सतीश जी0आ0

6. प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन तथा संस्थावार मेरिट सूची सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा तैयार कर निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. संयुक्त प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर अंनतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र पर काउसंलिंग (मूल अभिलेखों एवं प्रमाण पत्रों की जांच) के उपरांत प्रवेश दिया जायेगा।

प्रवेश परीक्षा में व्यय आदि की व्यवस्था

प्रश्न पत्रों के निर्माण, ओ0एम0आर0सीट का मुद्रण, मूल्यांकन एवं परीक्षा व्यवस्था आदि में आने वाला व्यय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के शासनादेश सं0—141/2015/5068/ 26—3—2015 दिनांक 23.11.2015 में दी गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
10.6.16
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

पृ0संख्या—1821 (1)/26—3—2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरप्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरप्रदेश।
4. सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. संबंधित मण्डलीय संयुक्त/उपनिदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0.
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ।
7. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनुसचिव।

सतीश जी0ओ0